



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 7 -

AA 002065

६० यह कि प्रस्तावित काम्पलेक्स द्वितीयक द्वारा दाईं सात में पूर्ण फीनिशिंगोत या प्रथमक कीओर से 6 माह द्वितीयक की गैस में दिया जायेगा। उपरोक्त कृत समय काम्पलेक्स के स-डी-ए-से नक्शा स्वीकृत होने की तिथि से माना जायेगा।

७० यह कि संपूर्ण काम्पलेक्स में जो भी शामिलानी रास्ते, कोरी छोर, छत, जीने, दीवारें, पिक्चर्स, समर सेपल पम्प द्वारा पानी सुविधाये, पार्किंग, जेनरेट, लिफ्ट आदि होगी वह किसी एक पक्ष की निजी संपत्ति नहीं होगी और नाही किसी एक पक्ष को काम्पलेक्स निवासियों को उन्हे छेछाड करने व परिवर्तित करने अवसर देने व समाप्त करने का अधिकार होगा।

